



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226579
CG-DL-E-13042021-226579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 127]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

सं. 01/2015-2020

विषय: वर्ष 2020-21 हेतु टीआरक्यू स्कीम के अंतर्गत यूके को 3675.13 मीट्रिक टन (खांड/परिष्कृत) चीनी की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन।

फा. सं. 01/91/180/879/एम-08/निर्यात प्रकोष्ठ/(खण्ड VIII)/ई-20749.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा वर्ष 2020-21 (सितम्बर 30, 2021 तक) हेतु यूके को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के अंतर्गत 3675.13 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं. 3/2015-20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के अंतर्गत यूके को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूके को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उदगम प्रमाण-पत्र, यदि अपेक्षित हो, उदगम प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूके को चीनी के निर्यात हेतु विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट अन्य प्रमाणन की आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन जारी रहेगा।

4. कोटे को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीड), नई दिल्ली द्वारा यूके को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में संचालित किया जाएगा।

5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015-2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

6. यह 3675.13 मीट्रिक टन की टीआरक्यू चीनी की अतिरिक्त मात्रा सार्वजनिक सूचना 14/2015-20 दिनांक 21.07.2020 के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित यूरोपीय संघ सीएक्सएल चीनी के 10.000 मीट्रिक टन कोटे के अलावा है।

7. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

टीआरक्यू के तहत यूके को दिनांक 30.09.2021 तक निर्यात किए जाने के लिए 3675.13 मीट्रिक टन खांड/परिष्कृत चीनी की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th April, 2021

No. 01/2015-2020

Subject: Allocation of additional quantity of 3675.13 MT (raw/refined) Sugar to UK under TRQ scheme for the year 2020-21.

F.No. 01/91/180/879/AM-08/EC (Vol.VIII) /E-20749.—In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby allocates **additional quantity of 3675.13 Metric Ton** of Raw/Refined Sugar, under Tariff Rate Quota (TRQ) to UK for the year 2020-21 (Upto September 30, 2021).

2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to UK under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.

3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to UK, shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai. Other certification requirement, if any, prescribed specifically for export of sugar to UK would continue to be followed.

4. The quota will be operated by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to UK.

5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

6. This additional quantity of TRQ sugar of 3675.13 MT is beyond EU CXL sugar quota of 10,000 MT during 2020-21 notified by DGFT vide Public Notice 14/2015-20 dated 21.07.2020.

7. Effect of this Public Notice:

The additional quantity of raw/refined sugar 3675.13 MT to be exported to UK under TRQ upto 30.09.2021 is notified.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Secy.,